(राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2018 को पारित रूप में)

2018 का विधेयक संख्यांक 17-सी

[दि नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मेन्टल रिटरडेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,-- 1999 का 44

(क) उपधारा (1) में, "अथवा अपना पदोत्तरवर्ती सम्यक् रूप से नियुक्त किए जाने तक के लिए इसमें से जो भी अवधि दीर्घतर हो," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ करेगी ।";

(ग) उपधारा (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की दशा में, लिखित आदेश द्वारा, समुचित स्तर के किसी अधिकारी को ऐसी रिक्ति के भरे जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन करने का निदेश दे सकेगी ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "जब तक कि उसके पदोत्तरवर्ती की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं कर दी जाती" शब्दों के स्थान पर, "जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता" शब्द रखे जाएंगे ।

MGIPMRND—2410RS(CRC)—13-12-2018.